

थाना आसीवन, जनपद उन्नाव

हत्या के प्रयास की अभियुक्ता गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा अपनी बच्ची की हत्या करने के प्रयास की आरोपी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 08.11.2024 को थाना आसीवन क्षेत्रांतर्गत ग्राम कायमपुर निवरवारा निवासिनी रोशनी पत्नी सोनू रैदास उम्र करीब 27 वर्ष द्वारा अपनी 07 दिन की नवजात बच्ची को जलाकर मारने का प्रयास किया गया था सूचना पर थाना आसीवन पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुचंकर घायल नवजात बच्ची को सीएचसी मियागंज भेजा गया था, जहाँ से डॉक्टरों द्वारा बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु सिविल हॉस्पिटल लखनऊ रेफर कर दिया गया था। उक्त प्रकरण के संदर्भ में घायल बच्ची के पिता सोनू रैदास उपरोक्त से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसीवन पर मु0अ0स0 331/2024 धारा 109 BNS बनाम रोशनी उपरोक्त पंजीकृत किया गया तथा आरोपी अभियुक्ता रोशनी पत्नी सोनू रैदास उपरोक्त को गिरफ्तार कर आज दिनांक 09.11.2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

रोशनी पत्नी सोनू रैदास नि0ग्राम कायमपुर निवरवारा थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र 27 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1. उ०नि० अरविन्द पाण्डेय
- 2. कां0 विजय बहादुर चौहान
- 3. म0का0 संगीता नेगी
- 4. म0का० अनुपम यादव





थाना बेहटा मुजावर, जनपद उन्नाव

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.07.2024 को वादिनी मुकदमा की तहरीर पर थाना बेहटामुजावर पर मु0अ0स0 184/2024 धारा 74/115(2)/352/351(3) BNS बनाम 01.दीपक पुत्र रविशंकर, 2.रिवशंकर पुत्र अज्ञात निवासीगण ब्यौली इस्लामाबाद थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता के मेडिकल व बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 BNS की बढ़ोत्तरी की गयी तथा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अनुज द्विवेदी पुत्र रविशंकर द्विवेदी निवासी ब्यौली इस्लामाबाद थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव को आज दिनांक 09.11.2024 को व0उ0िन मोर मुकुट पाण्डेय मय हमराह पुलिस टीम द्वारा ग्राम ब्यौली इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त का विवरण-

अनुज द्विवेदी पुत्र रविशंकर द्विवेदी निवासी ब्यौली इस्लामाबाद थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र करीब 29 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

व0उ0नि0 मोर मुकुट पाण्डेय का0 मोहित कुमार का0 अजय





प्रेस नोट - दिनांक 09.11.2024 थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 09.11.2024 को उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह हे0का0 अवधेश कुमार द्वारा थाना फतेहपुर चौरासी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 313/2024 धारा धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT में वांछित अभियुक्त राजन तेली (राठौर) पुत्र दद्दन उर्फ राजाशंकर निवासी ग्राम कोरटगंज (शिवपुरी) थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 18 वर्ष को बरूआघाट तिराहा स्थित दुर्गा मंदिर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त का विवरण-

राजन तेली (राठौर) पुत्र दद्दन उर्फ राजाशंकर निवासी ग्राम कोरटगंज (शिवपुरी) थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 18 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह हे0का0 अवधेश कुमार





थाना साइबर क्राइम, जनपद उन्नाव।



क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड की गई 13817/- रूपये की धनराशि पीड़ित के खाते में कराई गई रिफंड।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में के क्रेडिट कार्ड से फ्रांड तरीके से निकाले गये 13817/- रूपये की धनराशि आवेदक के क्रेडिट कार्ड में वापस करायी गयी।

संक्षिप्त विवरण- आवेदक श्री अमित कुमार मिश्रा पुत्र श्री दिनेश कुमार मिश्रा निवासी-229/21 केवटा तालाब सिविल लाइन थाना कोतवाली जनपद उन्नाव के मोबाइल पर अज्ञात पॉपअप लिंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से 13817/- रूपये ट्रांसफर हो जाने के संदर्भ में दिनाँक 09.10.2024 को साइबर क्राइम थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया। साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा त्विरत कार्यवाही करते हुए आरोपी के खाते को फ्रीज कराकर सम्बन्धित बैंक/मर्चेंट के जिरये उचित माध्यम पत्राचार कर आवेदक साथ हुए वित्तीय धोखाधड़ी के 13817/- रूपये आवेदक के क्रेडिट कार्ड में वापस कराये गये।

कार्यवाही करने वाली टीमः-

- 1.प्र0नि0 श्रीमती रेखा सिंह
- 2.उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र
- 3.उ0नि0 श्री कमल किशोर दुबे
- 4.मु0आ0 प्रवीण कुमार
- 5.मु0आ0 तरूण कुमार सिंह
- 6.आरक्षी शमसुद्दीन
- 7.आरक्षी गोपाल द्विवेदी
- 8.आरक्षी मोनू यादव
- 9.आरक्षी संजय कुमार
- 10.म0आ0 कुंती अग्रवाल
- 11.म0आ0 श्रुति मिश्रा



थाना साइबर क्राइम, जनपद उन्नाव।



रिश्तेदार बनकर फ्रॉड कॉल के माध्यम से आवेदक के खाते से फ्रॉड की गई 37000/- रूपये की धनराशि खाते में कराई गई रिफंड।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में रिश्तेदार बनकर फ्रॉड कॉल के माध्यम से आवेदक के खाते से फ्रॉड की गई 37000/- रूपये की धनराशि खाते में रिफंड करायी गयी।

संक्षिप्त विवरण- आवेदक श्री मोहित कुमार पुत्र श्री राम बाबू निवासी-इटौली थाना अचलगंज जनपद उन्नाव के पास एक व्यक्ति का फोन आया और आवेदक को उनका रिस्तेदार बताकर उनके खाते में कुछ रूपये ट्रांसफर करने की बात कही गयी जिसके बाद आवेदक ने उक्त अज्ञात व्यक्ति को रिस्तेदार समझ कर रूपये ट्रांसफर कर दिये। जबतक आवेदक को ज्ञात होता तब तक उसने 59212/- रूपये ट्रांसफर कर दिये थे। आवेदक द्वारा दिनाँक 19.09.2024 को साइबर क्राइम थाने में प्रार्थना पत्र दिया। साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी के खातों को फ्रीज कराकर सम्बन्धित बैंक/मर्चेंट के जरिये उचित माध्यम पत्राचार कर आवेदक के कुल फ्राड रूपये 59212/- में से 37000/- आवेदक के खाते में वापस कराये गये।

कार्यवाही करने वाली टीमः-

- 1. प्र0नि0 श्रीमती रेखा सिंह
- 2. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र
- 3. 30नि0 श्री कमल किशोर दुबे।
- 4. म्0आ0 प्रवीण कुमार
- 5. मु0आ0 तरूण कुमार सिंह
- 6. आरक्षी शमसुद्दीन
- 7. आरक्षी गोपाल द्विवेदी
- 8. आरक्षी मोनू यादव
- 9. आरक्षी संजय कुमार
- 10. म0आ0 कुंती अग्रवाल
- 11. म0आ0 श्रुति मिश्रा



थाना साइबर क्राइम, जनपद उन्नाव।



फ्रॉड कर निकाली गयी सम्पूर्ण 15400/- रुपये की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में रिफण्ड कराई गई।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फ्रॉड कर निकाली गयी 15400/- रूपये की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में रिफण्ड कराई गई।

संक्षिप्त विवरण- आवेदक श्री आकाश विमल पुत्र श्री सुनील कुमार निवासी महारामऊ निबईगैर थाना बीघापुर जनपद उन्नाव के पास एक व्यक्ति का फोन आया और आवेदक को फर्जी एस.एम.एस. भेजकर कहता है कि उसके खाते में 50000/- रूपये गलती से ट्रांसफर हो गये हैं आवेदक ने फ्राडस्टर पर भरोसा करके रूपये वापस करके उक्त अनजान व्यक्ति की मदद करने की इच्छा से पैसे ट्रांसफर किये परन्तु आवेदक के खाते में उतनी धनराशि ही नहीं थी जितनी फ्राडस्टर द्वारा बतायी गयी फिरभी फ्राडस्टर की बातों में फंसकर आवेदक द्वारा 15400 रूपये की धनराशि ट्रांसफर कर दी गयी। जबतक आवेदक को ज्ञात होता तब तक उसने मु0 15400/- रूपये ट्रांसफर कर दिये थे। आवेदक द्वारा दिनाँक 21.09.2024 को साइबर क्राइम थाने में प्रार्थना पत्र दिया। साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा त्विरत कार्यवाही करते हुए आरोपी के खातों को फ्रीज कराकर सम्बन्धित बैंक/मर्चेंट के जिरये उचित माध्यम पत्राचार कर आवेदक के खाते से फ्राड तरीके से ट्रांसफर की गयी 15400/- रूपये की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक को वापस करायी गयी।

कार्यवाही करने वाली टीमः-

- 1. प्र0नि0 श्रीमती रेखा सिंह
- 2. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र
- 3. उ0नि0 श्री कमल किशोर दुबे
- 4. मु0आ0 प्रवीण कुमार
- 5. मु0आ0 तरूण कुमार सिंह
- 6. आरक्षी शमसुद्दीन
- 7. आरक्षी गोपाल द्विवेदी
- 8. आरक्षी मोन् यादव
- 9. आरक्षी संजय कुमार
- 10. म0आ0 कुंती अग्रवाल
- 11. म0आ0 श्रुति मिश्रा।





थाना साइबर क्राइम, जनपद उन्नाव।



फ्रॉड कर खाते से निकाली गयी 20000/- रुपये की सम्पूर्ण धनराशि आवेदिका के खाते में रिफण्ड कराई गई।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फ्रॉड कर खाते से निकाली गयी 20000/-रुपये की सम्पूर्ण धनराशि आवेदिका के खाते में रिफण्ड कराई गई।

संक्षिप्त विवरण- आवेदिका श्रीमती रिजया पत्नी रिजवान निवासिनी 533 तालिब सराय थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव के द्वारा गलती से अनजान व्यक्ति के खाते में धनराशि ट्रासफर कर देने के बाद उक्त व्यक्ति द्वारा कोई जानकारी न देना व धनराशि वापस न करने के सम्बन्ध में साइबर थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी, जिस पर साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक/मर्चेंट के जिरये उचित माध्यम पत्राचार कर आवेदिका के खाते से ट्रांसफर की गयी 20000/- रूपये की सम्पूर्ण धनराशि आवेदिका को वापस करायी गयी।

कार्यवाही करने वाली टीम:-

- 1. प्र0नि0 श्रीमती रेखा सिंह
- 2. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र
- 3. 30नि0 श्री कमल किशोर दुबे
- 4. मु0आ0 प्रवीण कुमार
- 5. मु0आ0 तरूण कुमार सिंह
- 6. आरक्षी शमसुद्दीन
- 7. आरक्षी गोपाल द्विवेदी
- 8. आरक्षी मोन् यादव
- 9. आरक्षी संजय कुमार
- 10. म0आ0 कुंती अग्रवाल
- 11. म0आ0 श्रुति मिश्रा

